



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 11&76@2016 ¼, #th-jx#—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:-

1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-3 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुसूची-III (विनियम 7 देखें)

कामिल -ए-तिब-वा--जराहत पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम मानक

1. **यूनानी शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रयोजन** :- यूनानी की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक यूनानी के बुनियादी सिद्धांतों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान व व्यवहारिक परीक्षण के संयुक्त गहरी मौलिकता के सम्पन्न उद्भट विदता के स्नातको को तैयार करना जिससे वे देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करने के लिए पूर्णता सक्षम यूनानी पद्धति के चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक तथा अनुसंधानकृत हो सकेंगे।
2. **प्रवेशार्हता** :- यूनानी की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-
(A) **कामिल-ए-तिब वा जराहत** (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) बी0यू0एम0एस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा।

(क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते कि अभ्यर्थी ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में 50: समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भासा सहित दसवीं दरजा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उर्दू उत्तीर्ण हो

- (ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों 10+2 के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।
 (ग) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
 (घ) एक वर्ष की अवधि की प्राग-तिब परीक्षा।

(B) एक वर्षीय प्राग-तिब पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा,—

(क) इन्टरमीडिएट परीक्षा (10th) के समकक्ष प्राच्य अर्हता जैसा कि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट है अथवा

रकफ्यक

यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम के प्राग-तिब पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु हायर सैकेन्ड्री अथवा इन्टरमीडिएट अथवा 12 वीं दर्जा के समकक्ष अरबी फारसी में प्राच्य अर्हता की सूची—

क	लकक कक	वकक
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय	फाजिल—ए—अदब अथवा फाजिल—ए—तफसीर
2.	दारुल उलूम नदवतुल—उल्मा, लखनऊ	फाजिल
3.	दारुल, उलूम, देवबंद, जिला—सहारनपुर	फाजिल
4.	अल—जामियत—उल सल्फियाह, मरकजी दारुल—उलूम, वाराणसी	फाजिल
5.	अरबी व फारसी परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ	फाजिल
6.	मदरसा फ़ैजेआम, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
7.	दारुल हदीस, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
8.	जामियत—उल—फ़लाह, बिलरिया गंज, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
9.	दारुल उलूम अशरफ़िया मिसबाहुल उलूम, मुबारकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
10.	जामिया सिराजुल उलूम, बूधीयार, गोंडा (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
11.	जामिया फारुकिया, सबराबाद, वाया शाहगंज, जिला—जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	आदिब—ए—फाजिल
13.	दारुल उलूम अरबी महाविद्यालय, मेरठ शहर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
14.	मदरसा मजाहिर उलूम, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
15.	राजकीय मदरसा—ए—अलिया, रामपुर	फाजिल
16.	अल—जामियतुल इस्लामिया, नूर बाग, ठाड़े, मुंबई	फाजिल
17.	अल—जामियत—उल मोहम्मदिया, मनसूरा, मालेगाँव	फाजिल
18.	अल—जामियतुल इस्लामिया इस—हात—उल उलूम, अक्कलकुआ, जिला—धूलिया	फाजिल
19.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना	फाजिल
20.	जामिया—तुस—सालेहत, रामपुर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
21.	मदरसा—तुल—इस्लाह, सरायमीर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
22.	जामिया दारुस सलाम, मलेरकोटला (पंजाब)	फाजिल
23.	खैरुल उलूम, अल—जामियातुल इस्लामिया, डुमरिया गंज, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
24.	मदरसा दारुल हुदा, यूसुफपुर, वाया नौगढ़, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फाजिल
25.	जामिया इस्लामिया अल्माहद ओखला, नई दिल्ली अथवा जामिया इस्लामिया सनाबिल, अबुल फज़ल एन्क्लेव—II, नई दिल्ली	फाजिल
26.	दारुल उलूम अरबिय्याह इस्लामिया, पोस्ट कनथारिया, भारुच (गुजरात)	फाजिल
27.	दारुल उलूम राशियदिया, नागपुर	फाजिल

(ख) राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) के समकक्ष प्राच्य अर्हता।

3. **ikfod idsk ds }kjk idsk%** कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) हेतु अनुमत प्रवेश क्षमता की कुल संख्या में से दस सीटें प्रति वर्ष मुख्य पाठ्यक्रम में पार्ष्विक प्रवेश (प्राग-तिब पाठ्यक्रम) के द्वारा प्रवेश हेतु आरक्षित होंगी। बाकी सीटें पात्रता खंड 2(क) में उल्लेख मानदंड का पालन करते हुए भरी जा सकती है।

4. **ikB; dæ dh vof/k%** (क) प्राग तिब पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी (तथा (ख) उपाधि (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष तथा छः माह होगी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- i. प्रथम व्यावसायिक सत्र - बारह माह
- ii. द्वितीय व्यावसायिक सत्र- बारह माह
- iii. तृतीय व्यावसायिक सत्र- बारह माह
- iv. अंतिम व्यावसायिक सत्र- अट्ठारह माह
- v. अनिवार्य आवर्ती विशाखानुप्रवेश- बारह माह

5. **inku dh tkus okyh mikf/k%** अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, पश्चात् सभी परिक्षाएँ उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशाखानुप्रवेश के पूर्ण करने के पश्चात् यूनानी (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) उपाधि प्रदान की जाएगी।

6. **fk{kk dk ek/; e%** पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा का माध्यम उर्दू अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

7. **ijh{kk dh ; kstuk%** (1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा तथा प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर होगी।

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी :-

- i. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफा;
- ii. कुल्लियात उमूरे तबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त);
- iii. तशरीहुल बदन (एनॉटमी);
- iv. मुनाफिउल आजा (फ़ीज़ियोलॉजी)

(ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वे छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण करने के अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जाएंगे।

(2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा।

द्वितीय प्रथम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया पूर्ण होने के पश्चात् एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा:-

- (i) तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास)
- (ii) तहफुजी ना समाजी तीब (प्रीवेदन एण्ड कम्युनिटी मेडिकल)
- (iii) इल्मुल अदविया (फ़ामाकोलॉजी)
- (iv) महियातुल अमराज

(ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय अधिकतम तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।

(3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। एवं

तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-

- (i) सम्प्रेषण कौशल
- (ii) इलमुल सैदला वा मुरक्कावात
- (iii) तिब्बे कानूनी व इलमुल समूम (जूरीस प्रडेन्स एण्ड टोक्सीकोलोजी)

- (iv) सरीरियात वा उसूले इलाज (क्लीनिकल मेथउस)
 (v) इलाज बित तदबीर (रेजीमेनल थेरेपी)
 (vi) इलमुल अत्फाल (पीडिस्ट्रिक्स)
 (ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे अधिकतम तीन वर्षों में तृतीय व्यावसायिक परीक्षा चार अधिकतम अवसरों में उत्तीर्ण करने की अनुमति दी जायेगी।

(4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र 1 वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के 1) वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे :-

- (i) मोआलीजात (मेडिसिन)
 (ii) अमराजे निस्वान (गाइनोकोलीजी)
 (iii) इतमुल कबालावा नौमीजूद (आवरवेट्रिक्स) एण्ड म्योनादीलाजी)
 (iv) इल्मुल जराहत (संजेरी)
 (v) एन, उज्ज, अनफ, हलक, वा अस्नान (नेत्र, कान, काठ, तथा दंत चिकित्सा)
 (vi) अमराजे जिल्द वा तजिनियान

(ग) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी : बशर्ते कि, छात्र की गंभीर व्यक्तिगत बीमारी के मामले में तथा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में, संबंधित विश्वविद्यालय का उप- कुलपति चार व्यावसायिक परीक्षा में से किसी में भी एक अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।

(घ) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश प्रोग्राम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को अधिकतम नौ वर्षों में उपरोक्त अनुसार उत्तीर्ण करना होगा।

8. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय का विभाजन निम्नवत् निम्न प्रकार होगा:-

- (क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा। एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा।
 (ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।
 (ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा।

(घ) कोई भी प्रशिक्षु अस्पताल के विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना उसकी अस्पताल की ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(ङ) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थियों को विशिखानुप्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(च) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी. एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा।
 बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार की अनुमति यूनानी स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नहीं है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश यूनानी महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

(3) महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित नाम टीचिंग अस्पताल में निम्न प्रकार संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
1.	मोआलाजात इलाज वीद तदबीर और अमराजे जिल्द व तजिनियात को सम्मिलित करते हुए	2 माह	4 माह
2.	जराहत	1 माह	2 माह
3.	अमराज-ए-एन, उज्ज, अनफ-हलक वा अस्नान	1 माह	2 माह
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अमराजे कबालात व अमराजे विस्वा	1 माह	2 माह
5.	अमराजे अत्फाल	15 दिन	1 माह
6.	तहपफूजी-वा-समाजी तिब्ब (प्रीवेन्टिव एण्ड कम्प्युनिटी मेडीसिन)	15 दिन	1 माह

(4) प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल
- (ग) आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल
- (घ) कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित सभी संस्थाओं को ऐसे प्रशिक्षण देने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी अभिहित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त होना होगा।

(5) विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में 06/12 माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश।

प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

- (क) मोआलाजात- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि दो माह या चार माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-
 - (i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूपण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन।
 - (ii) यूनानी पद्धति द्वारा नब्ज, बौल-औ-बराज परिक्षण नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमोग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्टीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा आदि। आयुर्वेद पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जाँच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना।
 - (iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।
 - (iv) इलाज बित तदबीर: विभिन्न रेजीमेनल चिकित्सा की प्रक्रियाएं तथा तकनीकें
 - (v) अमराजे जिल्द व तजीनियात: अधुनिक उपकरण एवं तरीको को प्रयोग करते हुए त्वचा के विभिन्न रोगों की जांच एवं निदान एवं प्रसाधन।

(ख) जराहत:- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये:-

- i. यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- ii. अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन।
- iii. सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण।
- iv. प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
- v. संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग।
- vi. विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि और ई.सी.जी.
- vii. शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-
 - (क) ताजा कटे/घाव को टांका लगाना
 - (ख) घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी
 - (ग) फोड़े का चीरा
 - (घ) रसौली का उच्छेदन
 - (ङ.) शिराशल्यक्रिया इत्यादि

(ग) vejks , u] mTuj vllQ&gyd+ ok vLuku -इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- (i) यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
- (ii) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
- (iii) कान, नाक, कंठ, दंत, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया;
- (iv) नेत्र, कान, नाक, कंठ, दृष्टि दोष आदि की तत्सम्बन्धित उपकरणों से बहिरंग विभाग में जांच। नेत्र, कान, नाक, कंठ दोष दृष्टि दोष आदि की जांच, नेत्र सम्बन्धी रोगों के निदान हेतु नेत्र सम्बन्धी उपकरण का प्रयोग, बधिरता हेतु विभिन्न जांचे; एवं
- (v) बाह्य-रोगी विभाग स्तर लघु शल्य प्रक्रिया पर प्रक्रियाएं जैसे सिरिज से साफ करना तथा ऐनट्रम वाश, एपिस्टेक्सिस में नाक का संवेश्टन (पैकिंग), हलक से विजातीय शरीरों को हटाना।

(ड) **bYey&dckyr ok&vejks fuLoku:** - इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

- i. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल
- iii. सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबन्धन
- iv. लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएं

(च) अमराजे अतफाल-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा:- प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- i. प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार, यूनानी के सिद्धान्तों तथा चिकित्सा द्वारा भी प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल;
- iii. प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित नवजात शिशु की देखभाल
- iv. यूनानी चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण कौमार भृत्य समस्याएं तथा उनका प्रबन्धन।

(छ) तहफफूजी-वा-समाजी तिब्ब-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन अथवा एक माह होगी तथा प्रशिक्षु को पोषण संबंधी रोगों सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों से बचाव तथा नियन्त्रण कार्यक्रमों, प्रतिरक्षण, संक्रमण रोगों का प्रबन्धन, परिवार कल्याण योजना कार्यक्रमों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण की छः माह की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिए:-

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
- (ii) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहियें तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये।
- (iii) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिए तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये; तथा
- (iv) उन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।

$\frac{7}{8}$ ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिये:-

- (i) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका प्रबन्धन तथा
- (ii) ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होना।

$\frac{8}{8}$ आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह के दौरान प्रशिक्षु को

- i. हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनके प्राथमिक उपचार से परिचित कराया जायेगा; तथा
- ii. ऐसे मामलों को सम्बन्धित अस्पतालों के पास भेजने की प्रक्रिया से परिचित कराया जायेगा।

9. **विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन** .- विभिन्न विभागों में उन्हें आवंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

10. **विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण**.- (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति मात्र से ही होगा।

(2) समान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में मात्र दोनों महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति संस्थान अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

11 **परीक्षा**.- (1) सिद्धान्त परीक्षा में अधिकतम 40% तक के अंको के न्यूनतम 20% लघुतरीय प्रश्न तथा अधिकतम 60% तक के अंको के न्यूनतम 4 व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।

(2) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे तथा उन विषयों में जिसमें दो प्रश्न-पत्र तथा एक सामान्य प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित हो, वहाँ सिद्धान्त के प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण करने के मापदंड का निर्णय दोनों प्रश्न-पत्रों के कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने के आधार पर लिया जायेगा।

- (3) विषय में 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
- (4) यदि कोई अभ्यर्थी सिद्धान्त अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सिद्धान्त तथा प्रयोगात्मक परीक्षा की पूरक परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।
- (5) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
- (6) प्रत्येक छात्र को प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय में दिये गये तीन-चौथाई व्याख्यानों, प्रयोगों अथवा प्रदर्शन अथवा नैदानिक में भाग लेना अपेक्षित होगा तथा प्रत्येक छात्र को वर्ष के दौरान महाविद्यालय की शैक्षिक भ्रमण अथवा दौरो में भाग लेना आवश्यक होगा। परन्तु अधिष्ठाता अथवा प्राचार्य प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत योग्यता पर जितना आवश्यक समझे किसी को इनमें भाग लेने से छूट दे सकता है।
- (7) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।
- (8) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-
- (क) उपस्थिति में नियमितता
- (ख) आवधिक परीक्षा
- (ग) प्रयोगात्मक पुस्तिका कार्य

- 12. पाठ्यक्रम के दौरान स्थानान्तरण.-** (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चित व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

13- i z u i =ka dh l a; k r f k k fl) k l r @ f d z; k R e d d s f y; s v d .-

fo'k; dk uke	f' k{k. k ds ?k. Vka dh l a; k	vf/kdre vdkka dk foj .k					
	fl) k l r	f d z; k R e d	d i y	i z u i =ka dh l a; k	fl) k l r	f d z; k R e d	d i y
1/1½	1/2½	1/3½	1/4½	1/5½	1/6½	1/7½	1/8½
i k x f r c							
1. तबियत (भौतिक विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
2. कीमिया (रसायन विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
3. नबातियत (वनस्पति विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
4. हैवानियत (जन्तु विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
5. अंग्रेजी	180	---	180	एक	100	..	100
टिप्पणी: निकट के किसी विज्ञान महाविद्यालय में प्राग तिब पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।							
i f k e 0; k o l k f; d							
1. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफ़ा	100	—	100	एक	100	.	100
2. कुल्लियात उमूरे तिबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त)	100	—	100	एक	100	100	200
3. तशरीहुल बदन (ऐनॉटमी)* प्रश्नपत्र (i)—तशरीह— I प्रश्नपत्र (ii)— तशरीह— II	225	200	425	दो	100 100	100	300
4. मुनाफिउल आज़ा (शरीर क्रिया विज्ञान) प्रश्नपत्र (i)— मुनाफिअल आज़ा उमूमी वा हयाती कीमिया (सामान्य शरीर विज्ञान तथा जैव-रसायन विज्ञान) प्रश्नपत्र (ii)- मुनाफिउल आज़ा निजामी (शरीर विज्ञान)	225	200	425	दो	100 100	100	300
टिप्पणी: * तशरीहुल बदन प्रश्न पत्र— I: भ्रूण विज्ञान तथा आनुवांशिकी के मूलभूत ज्ञान जैसे गुणसूत्र, वंशानुक्रम की पद्धति, कोशिकाभवन तथा महत्वपूर्ण रोगों की आनुवांशिकी सहित संयोजक ऊतक, पेशी, स्नायु, ऊपरी तथा निचले अवयव तथा सिर तथा कंठ के अंगों का सामान्य वर्णन।							
* तशरीहुल बदन प्रश्नपत्र— II: वक्ष, उदर तथा श्रोणि तथा विभिन्न अंगों की अनुप्रयुक्त तथा मन्द शारीरिक अनियमितताओं का सामान्य वर्णन।							

f)rh; 0; kol kf; d							
1. तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास)	100	—	100	एक	100		100
2. तहफुजी वा समाजी तिब (रोधात्मक एवं सामुदायिक चिकित्सा)	150	100	250	एक	100	100	200
3. इल्मुल अदविया प्रश्नपत्र (i)– कुल्लियाते अदविया प्रश्नपत्र (ii)–अदविया मुफरादह	200	100	300	दो	100 100	100	300
4. माहियातुल अमराज प्रश्नपत्र (i)– माहियातुल अमराज उमूमी वा इल्मुल जरासीम प्रश्नपत्र (ii)–माहियातुल अमराज निजामिया	200	200	400	दो	100 100	100	300
fVii .kh% * इल्मुल अदविया– I (अदविया मुफरादह), तहफुजी वा समाजी तिब तथा माहियातुल अमराज के क्रियात्मक अथवा प्रदर्शन हेतु छात्रों को तीन समूहों में विभक्त किया जायेगा। अदविया मुफरादह के प्रदर्शन हेतु छात्रों को अदविया संग्रहालय तथा वनस्पति उद्यान में नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा।							
r rh; 0; kol kf; d							
1. सम्प्रेषण कौशल	100	—	100	एक	100		100
2. इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात प्रश्न पत्र (i)–इल्मुल सैदला प्रश्न पत्र (ii)–अदविया मुरक्काबात	140	100	240	दो	100 100	100	300
3. तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम	100	50	150	एक	100	100	200
4. सारीरियत वा उसूले इलाज	80	140	220	एक	100	100	200
5. इलाज बित तदबीर	80	140	220	एक	100	100	200
6. अमराजे अत्फाल	80	50	130	एक	100	100	200
fVii .kh% इल्मुल अदविया-II (इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात) तथा तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम के प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु छात्रों को दो समूहों में विभक्त किया जाएगा। दोनों विषयों में क्रियात्मक प्रति सप्ताह चार दिन होगा। इलाज बित तदबार, सारीरियत तथा अमराजे अत्फाल के नैदानिक प्रशिक्षण हेतु छात्रों को अस्पताल में विभिन्न समूहों में नियुक्त किया जाएगा।							
vfre 0; kol kf; d							
1. मोआलाजात प्रश्न पत्र (i)– अमराज–ए–निजाम–ए–दिमाग वा आसाब तथा बाह, हुम्मियत प्रश्न पत्र (ii)–अमराज–ए–तानाफफुस दौरान–ए–खून, तौलीद–ए–दम, तिहाल प्रश्न पत्र (iii)– अमराज–ए–हज्म, बौल ओ तानासुल, अमराज–ए– मुताद्दीयाह	250	नैदानिक ड्यूटी (समूहों में) अस्पताल के विभिन्न अनुभाग में 3–4 घण्टे प्रतिदिन	—	तीन	100 100 100	100	400

2. अमराजे निस्वान	100	—	एक	100	100	200
3. इल्मुल कबालत वा नौमौलूद	100	—	एक	100	100	200
4. इल्मुल जराहात प्रश्न पत्र (i)–जराहत उमूमी प्रश्न पत्र (ii)– जराहत निजामी	150	—	दो	100 100	100	300
5. ऐन, उज्ज, अन्फ, हलक वा अस्नान	100	—	एक	100	100	200
6. अमराजे जिल्द व तजीनियात	100	—	एक	100	100	200

14 शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव.- शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत है:-

(I) अनिवार्य (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मण्डल /संकाय/परीक्षा निकाय से यूनानी में उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में समाविष्ट/मान्य हों।

ख) विषय/संबंधित विशेष विषय में स्नातकोत्तर अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट/मान्य हों।

(II) अनुभव.- (क) प्राध्यापक के पद के लिए : सम्बन्धित विषय में कुल 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में प्रवाचक/सहायक प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान के अनुसन्धान परिषद् में नियमित रूप से सेवा में 10 साल के अनुसन्धान के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त जर्नल में पांच प्रकाशित पत्र।

ख. सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद के लिए:

संबंधित विषय में कुल 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान के अनुसन्धान परिषद् में नियमित रूप से सेवा में 5 साल के अनुसन्धान के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त जर्नल में तीन प्रकाशित पत्र।

ग. सहायक-आचार्य(व्याख्याता) के पद के लिये:

प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी :- प्राथमिकता यूनानी में डॉक्टरेट उम्मीदवारों को दी जाएगी।

घ. यूनानी की अपेक्षित विशिष्टता जैसाकि कॉलम 2 की तालिका में उल्लिखित है में स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में समवर्गी विषयों जैसा कि कॉलम 3 की तालिका में उनके सामने उल्लिखित है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि धारक प्राध्यापक, प्रवाचक एवं व्याख्याता के लिए पात्र समझे जाएंगे -

क्रम संख्या (1)	विषय (2)	समवर्गी विषय (3)
1.	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत अथवा कुल्लियाते तिब
2.	मुनाफेउल आजा	कुल्लियाते तिब
3.	इल्मुल सैदला	इल्मुल अदविया
4.	तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम	तहफफुजी वा समाजी तिब अथवा मोआलाजात अथवा इल्मुल अदविया
5.	सरीरियात	मोआलाजात
6.	महियातुल अमराज	मोआलाजात अथवा कुल्लियाते तिब
7.	इलाज बिल तदबीर	मोआलाजात अथवा तहफफुजी वा समाजी तिब
8.	अमराजे जिल्द व तजीनियात	मोआलाजात
9.	अमराजे ऐन, उज्ज, अनफ, हलक वा असनान	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
10.	इल्मुल अत्फल	मोआलाजात अथवा कबालत वा अमराजे निस्वान

टिप्पणी 1: समवर्गी विषय का यह उपबन्ध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पांच वर्ष तक जारी रहेगा।

टिप्पणी :2 जिन शिक्षकों को पिछले विनियम के आधार पर पूर्व में पात्र माना गया था वह इन संशोधनों के आधार पर प्राध्यापक, प्रवाचक और व्याख्याता के पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी :3 नियमित रूप से डाक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक के अनुसंधान अनुभव को एक वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के समान माना समझा जाएगा।

15- ikx&frc ikB; dæ grqf'k{kdkæ dh vgrk -&

मूलभूत विज्ञान के विषयों हेतु-सम्बन्धित विषय में मास्टर ऑफ साइन्स (एम.एस.सी.) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ

16- l lFkk ds iæf'k %i /kkukpk; l vFkok vf/kBkrk vFkok funs'kd½ ds i n ds fy, vgrk-&

1/2½ vfuok; % संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के इन पदों के

लिए प्राध्यापक पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव अनिवार्य होगा।

1/2½ okNuh; % (i) कम से कम पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव

(ii) यूनानी तिब के किसी विषय में मूल प्रकाशित कार्य; तथा

(iii) अरबी या फ़ारसी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान

17- ; wkuh ea ijh{k d dh fu; fDr-& सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव अथवा सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा अनुसंधान अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा।

18- vjch rFkk I Ei k.k dk\$ky fo'k; grq vgrk-&

(1) अरबी के शिक्षक के लिए— विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अरेबिक अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि

(2) I Ei k.k dk\$ky fo'k; ds fy, & विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय पत्रकारिता अथवा जन संचार में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा अथवा अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान

क. नटराजन, निबंधक—सह—सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

fVli .kh%&&अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Notification

New Delhi, the 7th November, 2016

No. 11-76/2016-Unani (U.G Regl.) In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE III

(See regulation 7)

MINIMUM STANDARDS FOR KAMILE TIB O JARAHAT (BACHELOR OF UNANI MEDICINE AND SURGERY) COURSE

1. Aims and Objects of Unani Education.- To produce competent Unani graduates of profound scholarship, having deep basis of Unani with modern scientific knowledge, in accordance with Unani fundamentals with extensive practical training so as to become Unani Physician and Surgeon and research worker fully competent to serve in the medical and health services of the country.

2. Eligibility for admission.- To seek admission in the respective course of Bachelor of Unani Medicine are as under-

(A) Admission to Kamile Tib O Jarahat course: A candidate seeking admission to main Kamile Tib O Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course must have passed-

(a) intermediate (10+2) or its equivalent examination with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology and the candidate shall have passed 10th standard with Urdu or Arabic or Persian language as a subject, or clear the test of Urdu of 10th standard (wherever there is provision to conduct of such test) in the entrance examination conducted by the University or Board or registered Society or Associations authorized by the Government to conduct such examination;

(b) for reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in of Physics, Chemistry and Biology marks for admission in BUMS as per concerned State and Central rules;

(c) for foreign students any other equivalent qualification to be approved by the University shall be allowed; or

(d) the Pre-Tib examination of one-year duration.

(B) Admission to Pre-Tib course-A candidate seeking admission to one year Pre-Tib course must have passed-

(a) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) as specified in the Table below; or

TABLE

List of oriental qualifications in Arabic Persian equivalent to Higher Secondary or Intermediate or 12th Standard for the purpose of admission to Pre-Tib course of the Unani degree course

Sl. No.	Name of Institution	Qualification
1.	Lucknow University	Fazil-e-Adab or Fazil-e-Tafseer

2.	Darul Uloom Nadvatul-Ulma, Lucknow	Fazil
3.	Darul-Uloom, Deoband, Distt. Saharanpur	Fazil
4.	Al-Jameat-ul Salfiah, Markazi Darul-Uloom, Varanasi	Fazil
5.	Board of Arabic and Persian Examination, Uttar Pradesh Allahbad or Uttar Pradesh Madarsa Shiksha Parishad, Lucknow	Fazil
6.	Madarsa Faize Aam, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (U.P)	Fazil
7.	Darul Hadees, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
8.	Jameat-ul-Falah, Bilaria Ganj, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
9.	Darul Uloom Ashrafia Misbahul Uloom, Mubarakpur, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
10.	Jamia Sirajul Uloom, Bondhiyar, Gonda (Uttar Pradesh)	Fazil
11.	Jamia Farooquia, Sabrabad, via Shahganj, Distt. Jaunpur (Uttar Pradesh)	Fazil
12.	Madras University	Adeeb-e- Fazil
13.	Darul Uloom Arabic College, Meerut City (Uttar Pradesh)	Fazil
14.	Madarsa Mazahir Uloom, Saharanpur (Uttar Pradesh)	Fazil
15.	Government Madrasa-e- Alia, Rampur	Fazil
16.	Al-Jamiatul Islamiya, Noor Bagh, Thane, Mumbai	Fazil
17.	Al-Jamiat-ul Mohammediya, Mansoor, Malegaon	Fazil
18.	Al-Jamiatul Islamia Is-hat-ul-Uloom, Akkalkuan, Distt. Dhulia	Fazil
19.	Bihar Rajya Madarsa Shiksha Board, Patna	Fazil
20.	Jamia-tus-Salehat, Rampur (Uttar Pradesh)	Fazil
21.	Madarsa-tul-Islah, Saraimir, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
22.	Jamia Darus Salam, Malerkotla (Punjab)	Fazil
23.	Khairul Uloom, Al-Jamiatul Islamia, Domaria Ganj, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
24.	Madarsa Darul Huda, Yusufpur, via Naugarh, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
25.	Jamia Islamia Almahad Okhla, New Delhi or Jamia Islamia Sanabil, Abul Fazal Enclave - II, New Delhi	Fazil
26.	Darul Uloom Arabiyyah Islamia, post Kantharia, Bharuch (Gujarat)	Fazil
27.	Darul Uloom Rashidia, Nagpur	Fazil

(b) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) recognised by State Government or State Education Board concerned.

3. Admission through Pre-Tib Course.- Admission may be made on a maximum of ten seats per year out of the total number of intake capacity permitted for Kamile Tib o Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) to main course through Pre-Tib course. Rest of the seats may be filled up by following the eligibility criteria mentioned at clause 2(a).

4. Duration of course.- (A) Pre-Tib Course: The duration of Pre-Tib Course shall be one year.

(B) Degree (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course: The duration of Course shall be five years and six months comprising:-

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| (i) First Professional session | - | Twelve months |
| (ii) Second Professional session | - | Twelve months |
| (iii) Third Professional session | - | Twelve months |
| (iv) Final Professional session | - | Eighteen months. |
| (v) Compulsory Rotatory Internship | | Twelve months |

5. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Kamile Tib o Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period, and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

6. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be Urdu or Hindi or any recognised regional language or English.

7. Scheme of examination.- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session;

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- Arabic and Mantiq wa Falsafa (Logic and Philosophy);
- Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine);
- Tashreehul Badan (Anatomy);
- Munafe ul Aaza (Physiology);

(c) The failed student of first professional shall be allowed to appear in second professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third professional examination unless the student passes all the subjects of first

professional examination and maximum four chances shall be given to pass first professional examination within a period of maximum three years.

(2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;

(b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Tareekhe Tib (History of Medicine);
- (ii) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine);
- (iii) Ilmul Advia (Pharmacology);
- (iv) Mahiyatul Amraz (Pathology);

(c) The failed student of second professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.

(3)(a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Communication Skills;
- (ii) Ilmul Saidla wa Murakkabat (Pharmacy)
- (iii) Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom (Jurisprudence and Toxicology);
- (iv) Sareeriyat wa Usoole Ilaj (Clinical Methods);
- (v) Ilaj bit Tadbeer (Regimenal Therapy);
- (vi) Ilmul Atfal (Paediatrics);

(c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.

(4)(a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of December every year after completion of one year and six months of final professional session;

(b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-

- (i) Moalajat (General Medicine);
- (ii) Amraze Niswan (Gynaecology);
- (iii) Ilmul Qabala wa Naumaulood (Obstetrics and Neonatology);
- (iv) Ilmul Jarahat (Surgery);
- (v) Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan (Eye, Ear, Nose, Throat and dentistry);
- (vi) Amraze Jild wa Tazeeniyat;

(c) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in anyone of four professional examinations;

(d) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

8. Compulsory Rotatory Internship.-(1) The duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations, and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

- (a) the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme alongwith the rules and regulations, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a workbook shall be given to each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him or her during his or her training;
- (b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;
- (c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;
- (d) no Internee shall remain absent from his hospital duties without prior permission from Head of Department or Chief Medical Officer or Medical Superintendent of the Hospital;
- (e) on satisfactory completion of internship programme, the Principal or Dean of the concerned college shall issue the internship certificate to the candidate;

(f) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Unani hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or facility or permission of the State Government for allowing the graduate of Unani in the hospital or dispensary of Modern Medicine, the one year Internship shall be completed in the Hospital of Unani College.

(3) The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Unani hospital attached to the college or in non-teaching hospitals approved by Central Council of Indian Medicine shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer and Amraze Jild wa Tazeeniyat	Two months	Four months
(ii)	Jarahat	One month	Two months
(iii)	Amraz-e-Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	One month	Two months
(iv)	Ilmul Qabalat-wa-Amraz-e-Niswan	One month	Two months
(v)	Amraze Atfal	Fifteen days	One month
(vi)	Tahaffuzi-wa-Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	Fifteen days	One month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- Primary Health Centre;
- Community Health Centre or District Hospital;
- any recognised or approved hospital of modern medicine;
- any recognised or approved Unani hospital or dispensary:

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University and concerned Government designated authority for providing such training.

(5) Detailed guidelines for internship programme- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Unani Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

- Moalajat- The duration of internship in this department shall be two months or four months with following activities:-
 - all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Unani medicine;
 - examination of Nabz, Baul-o-Baraz by Unani methods, routine clinical pathological work as. haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood smears, sputum examination, stool examination, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis;
 - training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;
 - Ilaj bit Tadbeer: Procedures and techniques of various regimenal therapies;
 - Amraze Jild-wa Tazeeniyat: Diagnosis and management of various skin diseases, use of modern techniques and equipments in skin and cosmetology etc;
- Jarahat- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
 - diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani principles;
 - management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;
 - practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization;
 - intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;
 - practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
 - radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;
 - surgical procedures and routine ward techniques such as:-
 - suturing of fresh injuries;
 - dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;
 - incision of abscesses;
 - excision of cysts; and
 - venesection;
- Amraze Uzn, Anf, Halaqwa Asnan- The duration of internship in this department shall be onemonth or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-

- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani Principles;
 - (ii) intern shall be involved in Pre-operative and Post-operative managements;
 - (iii) surgical procedures of ear, nose, throat, dental problems, ophthalmic problems;
 - (iv) examinations of eye, ear, nose, throat disorders, refractive error, use of ophthalmic equipment for diagnosis of ophthalmic diseases, various tests for deafness; and
 - (v) minor surgical procedure in Uzn, Anf, Halaq like syringing and antrum wash, packing of nose in epistaxis, removal of foreign bodies from Uzn, Anf and Halaq at Out-Patient Department level;
- (d) **Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan-** The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies;
 - (ii) antenatal and post-natal care;
 - (iii) management of normal and abnormal labours; and
 - (iv) minor and major obstetric surgical procedures;
- (e) **Amraze Atfal-** The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and Post-natal care also by Unani principles and medicine;
 - (ii) antenatal and post-natal emergencies;
 - (iii) care of new born child along with immunization programme; and
 - (iv) important pediatric problems and their managements in Unani system of Medicine;
- (f) **Tahaffuzi wa Samaji Tibb-** The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be trained to acquaint with the programmes of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunisation, management of infectious diseases, family welfare planning programmes.
- (6) **The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine or Unani Hospital or Dispensary:** During the six months internship training in Primary Health Centre or Community Health Centre or District Hospital or any recognised or approved hospital of Modern medicine or Unani hospital or dispensary, the intern shall-
- (i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
 - (ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;
 - (iii) get familiarized with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programme;
 - (iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.
- (7) **Internship training in Rural Unani dispensary or hospital:** During the six months internship training in Rural Unani dispensary or hospital, intern shall-
- (i) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and
 - (ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes.
- (8) **Internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine:** During the six months internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine, intern shall-
- (i) get acquainted with identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment; and
 - (ii) get acquainted with procedure for referring such cases to the identified hospitals.
- 9. Assessment of internship.-** After completing the assignment in various Sections, the intern shall obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Dean or Head of the institution so that completion of successful internship may be granted.
- 10. Migration of Internship.-** (1) The Migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case of migration is between the colleges of two different Universities.
- (2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.
- (3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a "No Objection Certificate", as the case may be.
- 11. Examination.-**(1) The theory examination shall have minimum twenty per cent. short answer questions having maximum mark up to forty per cent. and minimum four questions for long explanatory answer having maximum marks up to sixty per cent., and these questions shall cover entire syllabus of subject.
- (2) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and oral or practical separately in each subject and in the subjects which are comprised of two papers and have one common practical, the criteria of passing the theory papers will be decided on the basis of achieving fifty per cent. marks in aggregate of both the papers.
- (3) A candidate obtaining seventy-five per cent marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- (4) If a candidate is failed in the theory or oral or practical exam, he shall be required to appear in supplementary examination in theory as well as practical also.

- (5) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.
- (6) Each student shall be required to attend not less than three-fourth of the lectures delivered and practicals or demonstrations or clinicals held in each subject during each course and each student also be required to participate in educational trips or tours of the college during the year: provided that the Dean or Principal may exempt any one from such participation to the extent be deemed necessary on individual merit of each case.
- (7) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he shall appear in supplementary examination as regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.
- (8) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-
- Regularity in attendance;
 - Periodical tests; and
 - Practical work.

12. Migration during degree course.-(1)The students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining "No Objection Certificate" from Central Council.

13. Number of papers and marks for theory and practical.-

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PRE-TIB							
1. Tabiyaat (Physics)	180	90	270	one	100	100	200
2. Kimiya (Chemistry)	180	90	270	one	100	100	200
3. Nabatiyat (Botany)	180	90	270	one	100	100	200
4. Haiwaniyat (Zoology)	180	90	270	one	100	100	200
5. English	180	--	180	one	100	--	100
Note: Permission can be given to conduct the Pre-Tib Course in a Science College in nearby vicinity.							
First Professional							
1. Arabic and Mantiq wa Falsifa	100	-	100	one	100	-	100
2. Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine)	100	-	100	one	100	100	200
3. TashreehulBadan (Anatomy)* Paper (i)- Tashreeh -I Paper (ii)- Tashreeh - II	225	200	425	Two	100 100	100	300
4. MunafeulAaza (Physiology) Paper (i)- Munafeul Aza Umoomi waHayati Kimiya (General Physiology and Biochemistry) Paper (ii)-Munafeul Aza Nizami (Physiology)	225	200	425	Two	100 100	100	300
Note: *Tashreehul Badan Paper - I : General description of Connective tissues, Muscles, Nerves, Upper and Lower Limbs and organs of Head and Neck including basics of Embryology and Genetics like as Chromosomes, Pattern of inheritance, Cyto-genetics and Genetics of important diseases. *Tashreehul Badan Paper - II: General description of Thorax, Abdomen and Pelvis and Applied and Gross Anatomical anomalies of different organs.							
Second Professional							
1. Tareekhe Tib (History of Medicine)	100	-	100	One	100	-	100
2. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	150	100	250	One	100	100	200
3. Ilmul Advia Paper (i)- Kulliyate Advia Paper (ii)- Advia Mufradah	200	100	300	Two	100 100	100	300
4. Mahiyatul Amraz Paper (i)- Mahiyatul Amraz Umoomi wa Ilmul Jaraseem Paper (ii)- Mahiyatul Amraz Nizamia	200	200	400	Two	100 100	100	300

Note: The students may be divided into three groups for practical or demonstration of Ilmu Advia-I (Advia Mufradah), Tahaffuzi wa Samaji Tib and Mahiyatul Amraz. For demonstration of Advia Mufradah, the student will be posted in Advia Museum and Herbal Garden regularly.							
Third Professional							
1. Communication Skills	100	-	100	One	100		100
2. Ilmu Saidla wa Murakkabat Paper (i)- Ilmu Saidla Paper (ii)- Advia Murakkabah	140	100	240	Two	100 100	100	300
3. Tibbe Qanooni wa Ilmu Samoom	100	50	150	One	100	100	200
4. Sareeriyat wa Usoole Ilaj	80	140	220	One	100	100	200
5. Ilaj bit Tadbeer	80	140	220	One	100	100	200
6. Amraze Atfal	80	50	130	One	100	100	200
Note: For Practical training Ilmu Advia-II (Ilmu Saidla wa Murakkabat) and Tibbe Qanooni wa Ilmu Samoom, the students may be divided in two groups. Practicals in both the subjects may be held four days every week. The students will be posted in hospital, in various groups for clinical training of Ilaj bit Tadbeer, Sareeriyat and Amraze Atfal.							
Final Professional							
1. Moalajat Paper (i)- Amraz-e-Nizam-e-Dimagwa Aasab and Baah, Hummiyat Paper (ii)- Amraz-e-Tanaffus, Dauran-e-Khon, Tauleed-e-Dam, Tihal Paper (iii): Amraz-e-Hazm, Baul o Tanasul, Amraz-e-Mutaddiyah, Hummiyat, Amraz-e-mafasil	250	Clinical duties (in groups) In various sections of Hospital 3-4 hrs per day	-	Three	100	100	400
2. Amraze Niswan	100		-	One	100	100	200
3. Ilmu Qabalat wa Naumaulood	100		-	One	100	100	200
4. Ilmu Jarahat Paper (i)- Jarahat Umoomi Paper (ii)- Jarahat Nizami	150		-	Two	100 100	100	300
5. Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	100		-	One	100	100	200
6. Amraze Jild wa Tazeeniyat	100		-	One	100	100	200

14. Qualifications and Experience for teaching staff.-The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

- (I) **Essential qualification-** (a) A Bachelor degree in Unani Medicine from a University or its equivalent as recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
(b) a Post-Graduate degree in the subject or specialty concerned included in the schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
- (II) **Experience-**(a) For the Post of Professor: Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.
(b) For the Post of Reader or Associate Professor: Five years teaching experience in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal.
(c) For the post of Assistant Professor or Lecturer: The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per the existing rules.

Note: Priority shall be given to the candidates having Doctorate in Unani.

- (III) **Provision of allied subject:** In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

Sl. No.	Subject	Allied Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Tashreehul Badan	Ilmu Jarahat or Kulliyate Tib

2.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
3.	Ilmul Saidla	Ilmul Advia
4.	Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom	Tahaffuzi wa Samaji Tib or Moalajat or Ilmul advia
5.	Sareeriyat	Moalajat
6.	Mahiyatul Amraz	Moalajat or Kulliyate Tib
7.	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
8.	Amraze Jild wa Tazeeniyat	Moalajat
9.	Amraze Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	Ilmul Jarahat or Moalajat
10.	IlmulAtfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The doctor who were appointed on regular basis prior to the commencement of these regulations shall be eligible for appointment or promotion for the post of Professor, Associate Professor (Reader) and Assistant Professor (Lecturer) in the respective discipline under these regulations.

Note 3: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

15. Qualification of teachers for Pre-Tib course.- For subjects of Basic Sciences- Master of Science (M.Sc.) in the respective subject with minimum percentage of 55.

16. Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director).-

(I) **Essential:** The qualification and experience prescribed for the Post of Professor shall be essential for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director).

(II) **Desirable :**(i) Minimum five years administrative experience;
(ii) Original published work in any subject of Unani Tib; and
(iii) Good Knowledge of Arabic or Persian and English.

17. Appointment of Examiner in Unani.- No person other than regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for an examiner.

18. Qualification for Arabic and Communication Skill teachers.- (1) Qualification for Arabic Teacher- Post graduate degree in Arabic or equivalent qualification from a recognised University.

(2) Qualification for Communication Skills teacher on part time – Master of Arts (M.A.) in Journalism or Master of Arts (M.A.) in Mass communication or Post-Graduate Diploma in Journalism or Post-Graduate Diploma in Mass communication or Master of Arts (M.A.) in English from a recognised University with good working knowledge of Computer”.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note.— If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016. the English version will be treated as final.